प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : 637/SPMU/NHM/HR/DAP-Guideline/2024-25/ 1660 दिनांक 24.06.2024

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मानव संसाधन के सामान्य दिशा–निर्देशों के सम्बंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कोड में संविदा पदों/मानदेय इत्यादि संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु प्रेषित किये जाने वाले सामान्य नियम/दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है **(संलग्नक–क)**।

उपरोक्त के क्रम मे आपसे अपेक्षा है कि प्रेषित सामान्य नियम/दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,
21/06/24
o/c (डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 637/SPMU/NHM/HR/DAP-Guideline/2024-25/ 1660-10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
4. महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण) उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (विभागाध्यक्ष) राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, मण्डलीय परियोजना प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।

o/c (सुधा यादव)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियो की तैनाती के संबंध में सामान्य नियम, जी0आर0सी0 एवं एच0आर0 पॉलिसी का अनुपालन किये जाने के संबंध में :–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा/विचार–विमर्श किया जायेगा। चर्चा/विचार विमर्श के उपरान्त उक्त पर सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। इस आदेश में जो दिशा–निर्देश दिये गये हैं उन दिशा–निर्देशों के क्रम में कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा।

3. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदों में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी निर्गत किया जाता है, जोकि नियम विरुद्ध/गैर कानूनी की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदो में अधिकतम मानदेय हेतु स्वीकृत बजट को प्रतिमाह वेतन के रूप में आहरित किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा। यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रत्येक संविदाकर्मी का छमाही मूल्यांकन Appropriate Authority द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, उक्त प्रारूप पर सूचना पूर्ण रूप से संकलित/भरकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। Appraisal प्रारूप न होने की स्थिति में संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के स्तर से रोक लगाई जा सकती हैं (प्रथम छमाही अप्रेजल किये जाने के पश्चात् किसी संविदाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे चेतावनी–पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जायेगा कि वह अपने कार्य व व्यवहार में अतिशीघ्र सुधार कर लें)। प्रथम छमाही अप्रेजल उपरान्त किसी भी संविदाकर्मी की सेवा–समाप्ति नहीं की जायेगी।

6. यह पुनः अवगत कराया जाता है कि जनपद स्तर पर तैनात समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा।

7. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाईयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती नहीं की जाएगी। चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद के सापेक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियो हेतु मानव संसाधन नीति पत्रांक संख्याः 501/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0पॉलिसी/2019–20/7790 दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी है। जोकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पोर्टल www.upnrhm.gov.in पर गाइडलाइन सेक्शन में उपलब्ध है।

9. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मियों एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मी एवं चिकित्सक की भांति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें आकस्मिक अवकाश (कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 14), चिकित्सकीय अवकाश (कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 16) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।

एक कैलेंडर वर्ष में संविदा कर्मचारी की अप्रयुक्त (शेष) चिकित्सकीय अवकाशों को अगले वर्ष में अग्रसारित किया जायेगा। संविदा कर्मी की पूर्ण सेवा अवधि में चिकित्सकीय अवकाश के संचय की अधिकतम सीमा 120 दिवसों की मान्य होगी। जिन संविदा कर्मियों द्वारा रोस्टर के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ऐसे कर्मियों को राजपत्रित अवकाश हेतु पूर्व से अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

10. **(A)** समस्त महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 एवं मानव संसाधन नीति में वर्णित नियमों के अन्तर्गत 180 दिन का मातृत्व अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा। The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017, an act further to amend the Maternity Benefit Act, 1961 vide Official Gazette registered no. DL-(N)04/007/2003-17 dated 28.03.2017. The Maternity Benefit (Ammendment) Act, 2017 made ammendments in the the Principle Maternity Benefit Act, 1961 accordindly section 5 has been amended the details are mentioned as follows:

- **Section 5:** In the principal act, in section5, A In sub-section (3) -

i. For the words "twelve weeks of which not more than six weeks", the words "twenty-six weeks of which not more than eight weeks" shall be substituted;

ii. After sub-section (3) and before the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children shall be twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the date of her expected delivery."

Note: As per Maternity Benefit Act,1961 "No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in as establishment of the employer from whom she claims maternity benefit, for a period of not less than 80 days in the twelve months immediately preceeding the date of her expected delivery".

Note: All Female employees (excluding Trainees) working under NHM, UP are eligible for Maternity Leaves as per the Principle Maternity Benefit Act, 1961 & The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017.

For further more information kindly refer the Maternity Benefit Act, 1961 & The Maternity Benefit (Ammendment) Act,2017 for reference.

यदि कोई महिला कर्मी मातृत्व अवकाश का उपभोग करती है तो उस अवधि में महिला कर्मी को अनिवार्य रूप से नियमित वेतन निर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी एवं उपरोक्त हेतु संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक उत्तरदायी होगें।

(B) समस्त पुरूष संविदा कर्मियों को 15 दिवसों (साप्ताहिक अवकाश/छुट्टियों को छोड़कर) का पितृत्व अवकाश, एच0आर0 पॉलिसी में वर्णित नियमों के अनुसार सवेतन अनुमन्य होगा।

11. मण्डल/जनपद स्तर पर किसी संविदा कर्मी के नवीन तैनाती, त्याग–पत्र, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मानव संसाधन नीति में अनुमोदित अवकाश के समाप्ति के उपरान्त यदि कोई कर्मी किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग जैसे कि अवैतनिक अवकाश/चिकित्सकीय अवकाश इत्यादि करता है तो इन सभी का अनुमोदन पूर्वोत्तर/कार्योत्तर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से लेना अनिवार्य है।

12. यदि कोई संविदाकर्मी बिना किसी विशेष (विशिष्ट) कारण अथवा पूर्व सूचना के अपने कार्यस्थल (ड्यूटी) से लगातार 07 दिवसों से अधिक समय तक अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो मानव संसाधन नीति में वर्णित व्यवस्था के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी। ऐसे संविदाकर्मी जो बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थिति/कार्य छोड़कर चले गये उनको 03 नोटिस प्रत्येक 07 दिवसों के अन्तराल पर देते हुये भरपूर सुनने का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुये संविदा समाप्ति की प्रक्रिया की जायेगी एवं उक्त सूचना को मानव सम्पदा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायें। ऐसे संविदाकर्मी को उस पद पर पुनः कार्य की अनुमति/योगदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक "पूल" दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं (पैरामेडिकल कर्मियों का प्रकार, कार्यक्रम विशेष द्वारा वर्णित दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) के अनुसार होगा)। (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80-85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15-20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला /पुरुष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।

14. जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/ चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की धनराशि की लिमिट इन इकाइयों पर खोले गये ZBSA (Zero Balanace Subsidiary Account) बैंक खाते में जारी की जायेगी। जो संविदाकर्मी ई0पी0एफ0 के दायरे में आते है उसका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा। सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/अन्य इकाईयों जो मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आती है ऐसे संविदा कर्मियो के मानदेय का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।

15. प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान हेतु आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अनुमोदित संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य/मान्य नहीं होगा।

16. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय से अनुमोदनोंपरान्त पुनअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

17. संविदा कर्मी के जनपद पर सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन उपरान्त योगदान देने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि सम्बन्धित द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर आधार ऑथेन्टिकेशन की प्रकिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गयी हो तथा उसका ई0एच0आर0एम0एस0 कोड को जनरेट कर लिया गया हो।

18. मण्डल/जनपद स्तर पर किसी संविदा कर्मी के नवीन तैनाती/त्याग-पत्र/मृत्यु/सेवा निवृत्त/ सेवा-समाप्ति की दशा में संबंधित मण्डल/जनपद द्वारा तत्काल प्रभाव से मानव सम्पदा पोर्टल पर संबंधित कर्मी की अद्यतन सूचना को अपडेट किया जायें एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट होने के उपरान्त राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संबंधित प्रोग्राम डिवीजन एवं मानव संसाधन अनुभाग को उक्त की सूचना अगले माह की 07 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

19. मानव संसाधन से सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही हेतु सूचना मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जायेगी। अतः मानव सम्पदा पोर्टल पर संविदा कर्मियों की सही एंव अद्यतन सूचना दर्ज कराना सुनिश्चित करें। केवल संविदा कर्मियों का ही रजिस्ट्रेशन मानव सम्पदा पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी विवाद की स्थिति में उत्तरदायित्व, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति का होगा।

20. वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरो में दिया गया है।

21. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मियो के पदो के सापेक्ष विभिन्न एफ0एम0आर0 मदों के अन्तर्गत अनुमोदित मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 05 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु स्वीकृत निम्न शर्तों के आधार पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

(i) ऐसे कर्मी जिनका वर्ष 2024–25 में 01 वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण हो रहा हैं, उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि उनके प्रथम वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रदान की जाये।

(ii) ऐसे कर्मी जो 01 अप्रैल 2024 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2024 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान की जायें।

(iii) वित्तीय वर्ष 2024–25 में कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेंस के आधार पर 5% की वार्षिक मानदेय वृद्धि प्रदान करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 तथा जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया।

22. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न एफ0एम0आर0 कोड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 की आर0ओ0पी0 में मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों के स्वीकृत पदो के सापेक्ष एक्सीपीरियन्स बोनस (पूर्व में कहा जाने वाला लॉयल्टी बोनस) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(i) ऐसे संविदा कर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये मानदेय में 10% एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा।

(ii) ऐसे संविदा कर्मी जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2024 में निर्गत किये गये मानदेय मे 5% (उनको 10% एक्सपीरियन्स बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका हैं एवं शेष 5% एक्सपीरियन्स बोनस देय है) एक्सपीरियन्स बोनस प्रदान किया जायेगा।

(iii) ऐसी महिला संविदा कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।

(iv) ऐसे पुरुष संविदा कर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2024–25 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे।

(v) जिन संविदा कर्मियों को एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्रता अवधि में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, वे कर्मी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र नहीं होंगें।

(vi) **जिन संविदा कर्मियों द्वारा 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश लिया गया है वे कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस हेतु पात्र नहीं होंगें।**

(vii) सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मी एक्सपीरियन्स बोनस के पात्र नहीं है।

23. **(A)** भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे कार्यरत पात्र संविदा कर्मियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को लागू किया गया है। उक्त के भुगतान हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) का पालन किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गयी हैं। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुये प्राप्त हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00

प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा। ई0पी0एफ0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देशों को लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसमें किसी प्रकार की लापवाही पायी गयी तो सम्बन्धित के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(B) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह (रू0 25,000.00 प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी जोकि सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत हैं उन्हे ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2024–25 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

24. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पत्र संख्याः 144/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/नियु0/2019–20/6074–2 दिनांक 15.10.2019 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है। जिनका जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों के चयन हेतु पालन सुनिश्चित किया जाना है।

25. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मियो हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक अनुपालन (Statutory Compliance) जैसे कि Minimum Wages EPF, ESI, Service Charge, GST इत्यादि का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबधित जनपद में चयनित सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा वैधानिक अनुपालन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (उत्तर प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी शासनादेश के दृष्टिगत) का ससमय अनुपालन किया जाय, उदाहरण तालिकानुसार निम्नवत् है :–

For Example										
Sr. No	For monthly Honoraria per unit (In Rs) for the F.Y. 2024-25 with 5% Increment				Employer EPF & ESI		Total Rs	GST @18 %	Service Charge @4.50 %	Sub Total Rs (01 Month)
	Gross Honorara	EPF (Employee share) @12%	ESI (Employee share) @0.75 %	Honorarium of Employee (In Rs)	Rs 15000/- (maximum ceiling) EPF Employer Share (@13%)	Rs 21,000/- (maximum ceiling) ESI (Employer Share) @ 3.25%				
1	13500	1620	101	11779	1755	439	15694	2825	706	**19225**

26. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत यदि नवीन भर्ती/नियुक्ति की गयी है तो पात्र कर्मियों (संविदा, आउटसोर्स व वेन्डर मानव संसाधन) का सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से कार्यरत पात्र कर्मियों (संविदा, आउटसोर्स व वेन्डर/कोविड–19 में कार्यरत अस्थायी मानव संसाधन) के ई0पी0एफ0 ससमय ई0पी0एफ0 खाते में जमा कराकर चालान की प्रतिलिपि पत्रावली मे रक्षित करना सुनिश्चित करने के साथ राज्य स्तर पर वेतन निर्गत किये जाने की प्रारुप के साथ प्रत्येक माह की 03 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि किसी जनपद में ई0पी0एफ0 के सम्बन्ध में पैनालिटी अथवा डैमेजेस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लगाये जाते है तो उसके लिये सम्बन्धित जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)/प्राशासनिक अधिकारी (नोडल अधिकारी) एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व जिला लेखा प्रबन्धक पूर्णतया उत्तरदायी होंगें।

27. प्रत्येक माह की 03 तारीख तक विगत माह के मानदेय की धनराशि संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों को अनिवार्य रूप से उनके खाते में मानव सम्पदा साफ्ट्वेयर के माध्यम से स्थानान्तरित की जायें। 01 माह से अधिक मानदेय लम्बित/न निर्गत किये जाने पर उक्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी/ संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, उपरोक्त उल्लिखित संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों का मानदेय उपरोक्त उल्लिखित तिथि तक निर्गत किये जाने व समस्त वैधानिक अनुपालन जैसे ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, वेतन वृद्धि, एक्सपीरियन्स बोनस (संविदाकर्मी) इत्यादि (Statutory Compliance) का विगत् माह का जमा चालान प्राप्त करने के उपरान्त मानदेय निर्गत करें एवं प्रत्येक माह की 03 तारीख तक पूर्व प्रेषित प्रारूप पर निर्गत किये गये मानदेय (सैलेरी सर्टिफिकेट) ससमय मानव ससांधन अनुभाग एवं वित्त अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त को जिला स्वास्थ्य समिति बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित कराना भी सुनिश्चित करें।

28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, किन्तु संविदा पर कार्यरत चिकित्सा कार्य हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0) को शारीरिक एव मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथा संविदा पद पर कार्य करने की इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक की होगी (आयुष चिकित्साधिकारी एवं आयुष विशेषज्ञ की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष ही होगी जिस हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्याः 03/SPMU/NHM/AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 से प्रेषित किया गया)। **नोटः–चिकित्साधिकारी (एम0बी0बी0एस0) एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदो पर समस्त श्रेणी (अनारक्षित, ई0डब्ल्यू0एस0, ओ0बी0सी0–एन0सी0एल0, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण हेतु आयु के समस्त लाभोपरान्त (After Availing all the age relaxation benefits) आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। आवेदन हेतु अभ्यर्थियों की आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी (इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक न हों)।**

29. पत्र संख्या–648/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/2022–23/8683 दिनांक 15.02.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विशेषज्ञ के रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रकिया ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से राज्य स्तर पर सम्पादित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदो को पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के कम मे विशेषज्ञ के रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से राज्य स्तर से सम्पादित की जा रही है।

30. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकमों में डिस्ट्रिक्ट वॉक इन के माध्यम से संविदा चिकित्साधिकारियों (एम0बी0बी0एस0) के रिक्त पदो हेतु भर्ती प्रकिया सम्पादित करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त तैनाती किये जाने हेतु पत्र संख्या–179/एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./ डिस्ट्रिक्ट/वॉक–इन–इंटरव्यू/2023–24/4150 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से जनपदों को अधिकृत किया गया है एवं राज्य स्तर से अनुमोदन की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

30.1 <u>कमेटी का गठनः–</u>

30.1.1 जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति–अध्यक्ष अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी–ADM/CDO।

30.1.2 मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति–सदस्य।

30.1.3 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक–सदस्य।

30.1.4 जिला कार्यकम प्रबन्धक, जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0–सदस्य।

30.1.5 मुख्य कोषाधिकारी–सदस्य।

30.1.6 जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0–सदस्य।

नोट– उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त चयन समिति में प्रत्येक वर्ग विशेष (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो यदि ऐसा संभव नही है तो ऐसे वर्ग विशेष के सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में चयन समिति में जोड़ा जाएगा।

नोटः– उपरोक्त वर्णित समिति के अतिरिक्त अन्य गठित समिति द्वारा की गयी भर्ती प्रकिया किसी भी दशा मे मान्य नही होगी।

30.2 भर्ती प्रकिया में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायें।

30.3 इच्छुक अभ्यर्थियो की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 65 वर्ष से अधिक न हो।

30.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मी यदि भर्ती प्रकिया में प्रतिभाग करते है तो जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत लागू मानव संसाधन नीति के अनुसार NOC व अन्य का पालन सुनिश्चित किया जाये।

30.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत सम्पादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड–19 काल में कार्यरत कर्मियों को कोविड–19 सेवाकाल में दी गयी सक्रिय सेवाओं के कम में ए0एम0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों को क्यू0आर0 कोड आधारित अनुभव प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित जनपद द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करने के आधार पर निम्नानुसार अधिमानी अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत अंक निर्धारित हैः–

- 06 माह की कोविड–19 में सेवा पूर्ण किये जाने पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।
- 01 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।
- 01 वर्ष 05 माह या उससे अधिक सेवा पूर्ण किये जाने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक।

अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिमानी अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

- क्यू0आर0 कोविड अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित पूर्ण दिशा–निर्देश समय–समय पर आयोजित भर्ती प्रकिया के दौरान जारी किये जाते है।

30.6 अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोंपरान्त ही तैनाती, सेवा समाप्ति (एक अवसर सुनने का प्रदान किया जायेगा) एवं त्याग पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त से सम्बन्धित यदि कोई शिकायत, वाद–विवाद/कोर्ट केस, आर0टी0आई एवं अन्य प्राप्त होने की दशा में जिला स्वास्थ्य समिति स्वयं उत्तरदायी होगी।

31. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–10/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/विविध/2023–24/4908 दिनांक 12.09.2023 एवं पत्र संख्या–307/पांच–09–2024 दिनांक 21.02.2024 एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–10/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0/विविध/2023–24/4157 दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन कार्यरत किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण न किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

31.1 यदि किसी भी संविदा कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई न्यायिक कार्यवाही होती है तो स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगें उक्त स्थानान्तरण की जिम्मेदारी राज्य द्वारा किसी भी दशा में व्यवहृत नहीं की जायेगी।

31.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति स्थान विशेष के लिये की जाती है।

31.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत भर्ती हेतु विज्ञापन विज्ञप्ति में भी यह वर्णित हैः– The posts are non-transferable.

31.4 राज्य स्तर से चयनित अभ्यर्थियों हेतु निर्गत ऑफर लेटर में भी यह वर्णित होता है कि "No transfer shall be done to another facility of concerned District Health Society/District in any circumstances."

32. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन तैनात संविदा कर्मियो की चेकलिस्ट अनुसार पर्सनल फाइल संबंधित जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

33. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में राज्य स्तर से अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त सम्बन्धित जनपदों को जनपद स्तर पर एक कमेटी नामित करते हुये दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। सम्बन्धित जनपदों से अपेक्षा है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का विज्ञापन में वर्णित वांछित योग्यता से मिलान करने के उपरान्त ही सफल अभ्यर्थियों की योगदान आख्या लेना सुनिश्चित करें।

34. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में चिकित्सा इकाई (सर्विस डिलीवरी) के मानव संसाधन को किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

35. संविदाकर्मी / चिकित्सक सेवा–अवधि के लिए पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसे सेवा–अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।

36. संविदाकर्मी / चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

37. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक / कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर उनकी सेवाये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से समाप्त की जा सकती है।

38. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राशि का व्यय ऑपरेशनल दिशा–निर्देश / गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जायेंगी।

39. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपदो में कार्यरत संविदा कर्मचारियो द्वारा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर पत्रांक संख्याः 197 / एस0पी0एम0यू0 / डैप–एच0आर0 / जी0आर0सी0 / 2018–19 / 12394 (75)–11 दिनांक 07.03.2019 में वर्णित दिशा–निर्देशो के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

40. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत मण्डल / जनपद स्तर पर संविदा कर्मियो की समस्या के समाधान हेतु Grievance Redressal Committee का गठन किया गया है। उक्त के संदर्भ में पत्र संख्याः 24 / एस0पी0एम0यू0 / डैप–एच0आर0 / शासन / 2018–19 / 1769 दिनांक 26.05.2018 एवं 197/SPMU/DAP-HR/GRC/2019-20/315 दिनांक 10.04.2019 एवं पत्र संख्या–199 / एस0पी0एम0यू0 / डैप–एच0आर0 / जी0आर0सी0 / 2023–24 / 3244–3 दिनांक 19.07.2023 में वर्णित दिशा–निर्देशो के अनुसार नियमित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

41. मण्डल / जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मी यदि व्यक्तिगत कारणों से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उ0प्र0 पर आते है तो सक्षम अधिकारी से अवकाश एवं स्टेशन अवकाश के अनुमोदनोपरान्त, अवकाश की प्रति के साथ राज्य स्तर पर आना सुनिश्चित करें।

42. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद / ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियो के लिए प्राशासनिक संरचना तथा राज्य / जनपद स्तर पर कार्यरत कर्मियो के वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु मूल्यांकन के लिए पदानुक्रम अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सेवा नवीनीकरण के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश पत्र संख्या–06 / एस0पी0एम0यू / एच0आर0 / 2024–25 / 1288–2 दिनांक–07.06.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये है।